बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6ए / वि02–107 / 2019 (भाग–I)– 366 (मा०) पटना, दिनांक– 30/1/2026

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषयः–वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब–मिशन) के अंतर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों (153 टोलों) में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्यांश मद से ₹2.40385 लाख (दो लाख चालीस हजार तीन सौ पचासी रूपये) मात्र राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब–मिशन)** अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में फ्लोराईड प्रभावित 153 टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पांच वर्षों के लिए रख–रखाव एवं परिचालन हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक–6ए0 / वि02–1022 / 17–1638 दिनांक–6.07.17 के द्वारा कुल रू0 13053.92 लाख (एक सौ तीस करोड़ तिरपन लाख बेरानबे हजार रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त प्रमण्डल के अंतर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न **तालिका** के अनुसार **₹2.40385 लाख (दो लाख चालीस हजार तीन सौ पचासी रूपये) मात्र** की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	पत्रांक / दिनांक	राज्यांश मद की राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रूपये में)			
					सामान्य	अनु0 जाति	कुल	शब्दों में
1	शेखपुरा	2009/ 17.12.25	1568.927	1057.46417	**2.00**	**0.40385**	**2.40385**	दो लाख चालीस हजार तीन सौ पचासी रूपये मात्र।

अनुरोध है कि **राज्यांश मद में** कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त राशि विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

30/1/26

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

D:\Amresh-2025 work\Allotment\Allotment NRDWP(NWQSM) &MVS\State share\Fluoride-153 Tola.docx

Email

ज्ञापांक–6ए0 / वि02–107 / 2019 (भाग–I) 366 (मा0) पटना, दिनांक– 31/1/2026

1.प्रतिलिपी–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से उक्त विमुक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र–भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार) / बजट पदाधिकारी / अधीक्षण अभियंता (मो0) / कार्यपालक अभियंता (मो0–2) / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल, संख्या–10 / आई0टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी–6 / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/26

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)